

19/4/17

मसूदा (अजमेर)
वकील वादी उपस्थित। प्रार्थना पत्र T.I के साथ झूल वाद
पर डिफ्री एव स्थाई निवेदाडा जारी की जा चुकी है।
इसलिए। प्रार्थना पत्र प्रभाव शून्य हो गया है। अतः कार्यवाही
प्रार्थना पत्र द्रोप की जाती है। मिसल फैसल शुमार दोहर
नम्बर से कम हो। बाद हफ्तर. दाखिल हो। हा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

